

## राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक: प.17 (14)पी.एण्ड एम./वि.बो./2017-18/

दिनांक:

--: आदेश :-

बोर्ड के आदेश क्रमांक प.14 (4)प्रचार/वि.बो./2013-14/1015-60 दिनांक 12.04.2013 के द्वारा बिड ई-पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाईन प्राप्त किये जाने की व्यवस्था लागू की गई थी। उक्त व्यवस्था में वांछित बिड शुल्क, आर.आई.एस.एल. फीस एवं धरोहर राशि के डी.डी. स्केन कर निविदा के साथ अपलोड कर भौतिक रूप से लिये जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

भौतिक रूप से निविदा शुल्क, आर.आई.एस.एल. फीस एवं धरोहर राशि लिये जाने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करते हुए भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली बिडों में उपरोक्त शुल्क एवं फीस आदि NEFT/RTGS/IMPS के जरिये संबंधित खण्ड के खातों में सीधे ही प्राप्त किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं।

इस व्यवस्था के लिये बिड आमंत्रित करने वाले अधिकारी द्वारा बिड सूचना में इस हेतु खण्ड का खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड एवं बैंक का नाम व शाखा का स्पष्ट उल्लेख कर बिडर्स से उपरोक्त राशि ऑन-लाईन सीधे संबंधित खण्ड के खातों में जमा कराने की अपेक्षा कर अपलोड बिड के साथ बिडर द्वारा जमा कराई गई ऑन-लाईन राशि के यू.टी.आर. नम्बर की स्केन प्रति की वांछना की जावेगी। संबंधित खण्ड उपरोक्त जमा राशि की सुनिश्चितता कर इसका पूर्ण विवरण बिड खोलने वाले अधिकारी को उपलब्ध करवायेगा।

उपरोक्त आदेश प्रशासक महोदय से अनुमोदन प्राप्त है।

६. -

(नरेन्द्र कुमार बसंल)  
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

दिनांक: 10/7/17

क्रमांक: प.17 (14)पी.एण्ड एम./वि.बो./2017-18/384-418

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव (प्रशासक), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को प्रशासक महोदय के अवलोकनार्थ।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त .....
6. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त .....
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को अपलोड हेतु।
8. शाखा प्रभारी।
9. आरक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र कुमार बसंल)  
महाप्रबन्धक (प्रशासन)